अनौपचारिक रूप से परामर्शित

पत्रांक 15/पी 5-22/2018

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज, (बि0प्र0से0)
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजनान्तर्गत बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर अन्तर्गत आर0सी0सी0 पथ ड्रेनेज हेतु रू0 1,86,50,000/- (एक करोड़ छियासी लाख पचास हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजनान्तर्गत बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर अन्तर्गत आर0सी0सी0 पथ ड्रेनेज हेतु रू0 1,86,50,000/- (एक करोड़ छियासी लाख पचास हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर अन्तर्गत आर0सी0सी0 पथ ड्रेनेज हेतु रू0 1,86,50,000/- (एक करोड़ छियासी लाख पचास हजार) मात्र प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदन सहित उपलब्ध कराया गया है।

3. राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन से निकासी कर योजना के क्रियान्वयन हेतु बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के पी0एल0 खाते में राशि का अन्तरण, अन्तरण जमा के द्वारा किया जाएगा। स्वीकृत राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

4. इस योजना के क्रियान्वयन में गुणवता की पूरी जिम्मेवारी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के संबंधित पदाधिकारी की होगी तथा शिकायत प्राप्त होने पर विभाग समूचित कार्रवाई करेगा ।

5. स्वीकृत होने वाली राशि के व्यय का विकलन मांग संख्या 21, मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा उपमुख्य शीर्ष- 03 विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा, लघुशीर्ष 102-विश्वविद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष 0115 राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास विपत्र कोड

21-2202031020115, विषय शीर्ष 0115. 31. 05 सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में किया जाएगा।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या 15/पी 5–22/2018 में दिनांक 24.01.2019 को पृष्ठ 04/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877–907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् राशि निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

8. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा महापरीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण (वित्त) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस अनुदान राशि का लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इसके लिए संपूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

10. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

11. इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/पी 5–22/2018 115 पटना, दिनाक 1/2/2019

प्रतिलिपिः– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना/कुलसचिव, बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर/निदेशक, उच्च शिक्षा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी– 05, 14 एवं 15/लेखापाल, उच्च शिक्षा तथा आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव